

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (ए-194) अलेसे-1/14829-36

दिनांक:- 04/06/2015

आदेश संख्या: 26 / 2015-16

श्री अनुराग कुमार माथुर, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 कार्यालय- वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी जन्मतिथि 09.09.1962 (लिंग नं.-3181) व राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 16.07.1988 है, उनके आवेदन पत्र दिनांक 24.04.2015 एवं 07.05.2015 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 50 (1) के तहत दिनांक 01.08.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्री अनुराग कुमार माथुर की दिनांक 01.08.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग कुमार माथुर, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

41-5  
(भास्कर शर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (ए-194) अलेसे-1/14829-36

दिनांक:- 04/06/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, वित्त(मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर।
5. श्री अनुराग कुमार माथुर, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 कार्यालय- वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में ऐन्ट्री करने हेतु।
7. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
8. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।

(क.एम.मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)